POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 11

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 नवम्बर, 2019 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! साथ ही 'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं !

विश्व बैंक द्वारा करवाए गए इस वर्ष के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार 96 फीसदी लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं।

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 'खुले में शौच' मुद्दे पर बड़ा बदलाव है। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने इस अभियान को देशवासियों के लिए एक प्राथमिकता बना दिया है।

अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि शुरुआत से ही यह मिशन नागरिक केंद्रित बन गया। सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटीज और मीडिया की निःस्वार्थ साझेदारी और सहभागिता ने इसे एक विशिष्ठ अभियान बना दिया। सरकार का शुरू से ही ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में शौचालय बनाने और उनके इस्तेमाल पर जोर रहा।

नतीजतन, पिछले पांच साल में ग्रामीण इलाकों में 9.30 करोड़ शौचालय बनवाए गए। वर्ष 2014 में मात्र 38.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र ही इस दायरे में आता था जो आज 99 प्रतिशत पूर्ण स्वच्छ क्षेत्र दायरे में है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

हालांकि अभी भी स्वच्छता की मंजिल दूर है। ग्रामीण शौचालयों में पानी की कमी, सीवेज प्रबंधन, ग्रामीणों में जागरूकता की कमी, शौचालयों की साफ-सफाई का अभाव, अपशिष्ठ प्रबन्धन जैसी कई समस्याएं और चुनौतियां सामने है। आशा है कि इन सभी चुनौतियों को सरकार व जन भागीदारी से सुलझा लिया जाएगा।

प्रदेश में तंबाकू सहित घातक केमिकल युक्त पान मसालों पर रोक

प्रदेश में तंबाकू व पान-मसाले से होने वाले नुकसान और बीमारियों को रोकने के लिए सरकार ने तंबाकू सहित घातक केमिकलों जैसे मैग्निशियम कार्बोनेट, निकोटीन, मिनरल ऑयल को पान मसाले और फ्लेवर्ड सुपारी में मिश्रित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पान मसालों की जांच में अगर यह नशे के केमिकल मिले तो संबंधित प्रॉडक्ट पर कार्रवाई की जाएगी।

पान मसाले की जांच में मिले थे केमिकल

चिकित्सा विभाग के जन स्वास्थ्य व खाद्य आयुक्त डॉ. के.के. शर्मा ने बताया कि गत दिनों टीमों ने विभिन्न पान मसाले व फ्लेवर्ड सुपारी के 310 नमूने लिए थे। इनमें से 119 नमूनों में निकोटीन, तंबाकू, मैग्निशियम कार्बोनेट और मिनरल ऑयल मिला था। इसलिए इन पर अब प्रतिबंध लगाया गया है।

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इन केमिकल युक्त पान मसाले सहित फ्लेवर्ड सुपारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा किसी अन्य खाद्य पदार्थ में भी यह केमिकल मिले तो उस पर भी कार्रवाई होगी।

यह कार्रवाई कोटपा एक्ट और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत की जाएगी। जांच लैब में इन केमिकलों के होने की पुष्टि होने पर संबंधित कंपनी के पान मसाले, फ्लेवर्ड सुपारी आदि को जब्त कर लिया जाएगा।

ब्लड बैंक को भारी पड़ा संक्रमित ब्लड देना

जयपुर में होली दरवाजा चौमूं निवासी सीताराम सैनी ने मुरलीपुरा स्थित लाइफ केयर ब्लड बैंक के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग की बैंच-2 में परिवाद दर्ज कराया। दर्ज परिवाद के अनुसार उनका 25 साल का पुत्र राहुल जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय चौमूं में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था। तबीयत खराब होने पर 7 जुलाई 2015 को उसे एमजेएफ अस्पताल चौमूं में दिखाया गया। डॉक्टरों ने उसे पाइल्स से पीड़ित बताया और 10 जुलाई को तीन यूनिट ब्लड चढ़ाने को कहा। मुरलीपुरा स्थित लाइफ केयर ब्लड बैंक से खून मंगाया गया। अभी 50 एमएल ही ब्लड चढ़ा था कि राहुल की तबियत बिगड़ गई। ब्लड चढ़ाना रोक दिया गया। उसे जयपुर रेफर किया गया। लेकिन संक्रमित ब्लड से राहुल की मौत हो गई।

राज्य आयोग ने लाइफ केयर ब्लड बैंक को संक्रमित ब्लड देने का दोषी माना और आदेश दिए कि ब्लड बैंक सीताराम सैनी को 25 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति अदा करें। साथ ही आयोग ने कहा कि ब्लड बैंक और एमजेएफ अस्पताल दोनों हर्जाने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन, परिवादी ने अस्पताल को पक्षकार नहीं बनाया ऐसे में ब्लड बैंक 25 लाख रुपए देने के लिए जिम्मेदार है। यदि सैनी ने दूषित रक्त चढ़ाने वाले अस्पताल को भी पक्षकार बनाया होता, तो सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के अनुसार युवक के परिजनों को 50 लाख रुपए मिलते।

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यशाला

वित्तीय साक्षरता के साथ बैंकिंग जागरूकता जरूरी

बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को जानने और उनके सत्यापन के लिए 'केवाईसी' एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यह ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ही है। इसी तरह एटीएम कार्ड जारी करने के पूर्व ग्राहकों से मांगी जाने वाली जानकारी या प्रमाण-पत्र भी उनकी वित्तीय सुरक्षा का एक हिस्सा है।

'कट्स' द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से जयपुर जिले के बस्सी में आयोजित कार्यशाला में बैंकिंग सेवाओं के जानकारों एवं विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी से यह उभर कर सामने आया। कार्यशाला में भाग ले रहे ग्रामीणों, युवाओं एवं महिलाओं को संबोधित करते हुए विभिन्न बैंकों के अधिकारियों व विशेषज्ञों ने बैंकिंग सुरक्षा से संबंधित विभिन्न तरीकों व मापदण्डों की जानकारी दी। उन्होंने एटीएम कार्ड की उपयोगिता बताते हुए इसके पिन नंबर को किसी को नहीं बताने की सलाह दी।

इसके अलावा बैंक ग्राहकों को जानकारी के अभाव में होने वाले बैंकिंग संबंधित अपराधों की जानकारी देते हुए उन्होंने सतर्क रहने को जरूरी बताया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को बैंक में खाता खुलवाने, छोटी-छोटी बचत के तरीके, उसके फायदे और बैंकों की ओर से दी जा रही सब्सिडी व ऋण आदि की भी जानकारी दी।

क्या है पौधारोपण की मटका विधि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों वाराणसी में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मटका विधि तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में इस तकनीक से पर्यावरण को हरा-भरा किया जा सकता है। यह तकनीक गुजरात के कई हिस्सों में प्रयोग हो रही है।

उन्होंने अपने एक ब्लॉग में इस तकनीक को साझा करते हुए बताया कि जहां पौधा लगा रहे हैं वहीं पौधे की जड़ों के पास एक मिट्टी के मटके में (बिना पेंट किया हुआ) पानी भर कर ढक दें और उसे जमीन में दबा दें। पौधे की जड़ें मटके तक पहुंचकर पानी सोखती रहेंगी। इससे पौधे को कुछ सप्ताह तक बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पौधा हरा-भरा रहेगा।

कृषक साथी योजना का दायरा बढ़ाया

प्रदेश में किसानों और खेतीहर मजदूरों की खेत में काम करते समय व अन्य कई परिस्थितियों में दुर्घटना होने पर भी पीड़ित किसान या खेतीहर मजदूर को राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना-2009 का दायरा बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काश्तकारों के हित में इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अब काश्तकारों के हित में योजना में विभिन्न स्थितियों का खुलासा किया गया है। इससे दुर्घटनाग्रस्त किसान या खेतीहर मजदूर को योजना का आसानी से लाभ मिल सकेगा।

दीपावली बाद गांवों में भी बजेगा हूपर

शहरी निकायों की तर्ज पर अब ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू की जाएगी। वहां सफाई करने वाले स्वयं सहायता समूह के कर्मचारी घर-घर व दुकानों से कचरा संग्रहण करेंगे। इसके लिए ई-रिक्शा चलेंगे, जो भौंपू बजाते हुए कचरा लेंगे। अभी की जा रही तैयारी के अनुसार यह व्यवस्था दीपावली के बाद लागू कर दी जाएगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ग्राम पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 लागू करने वाला है। इसके तहत सफाई का शुल्क भी वसूला जाएगा। नियमों की पालना नहीं करने पर जुर्माना राशि भी तय कर दी गई है।

अनूठा गांव: 60 तालाब, सभी लबालब

जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील राजस्व गांव बोयल में नायाब उदाहरण देखने को मिलता है। यहां हमारे बुजुर्गों ने 'खेत का पानी खेत में' और 'गांव का पानी गांव में' की तर्ज पर इस छोटे से गांव में सालों पहले 60 तालाब, नाडे-नाडियां तथा ऐनिकट बनवा दिए। गांव में 1100 बीघा जमीन गोचर के लिए है। गांव के सबसे बड़े चार तालाबों का कैचमेंट 900 बीघा से भी ज्यादा है।

इसके अलावा 56 तालाब ऐसे हैं, जिनके नाम सामाजिक आधार पर रखे हुए हैं। बुजुर्ग बताते हैं, बोयल में जितने तालाब, नाडे-नाडियां हैं उतने मारवाड़ के एक अकेले गांव में कहीं नहीं हैं। नरेगा में खुदाई हो जाने से इनकी काया पलट हो गई है। बारिश के बाद ये सब पानी से लबालब हैं। इतना पानी संरक्षित हो गया है कि अगली बारिश तक भी खत्म नहीं होगा। जल संरक्षण के मायने में यह गांव सभी के लिए एक नायाब मिसाल है।

कुपोषण के खिलाफ : हरकत में सरकार

नेशनल फेमिली हैल्थ सर्वे की वर्ष 2015-16 की रिपोर्ट में आए चौंकाने वाले आंकड़ों पर गौर करते हुए केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विभिन्न विभागों में समन्वय बनाते हुए 6 वर्ष तक के बच्चों में बौनापन दूर करने, वजन बढ़ाने, रक्त की कमी दूर करने एवं कुपोषण मिटाने की कवायद शुरू कर दी है।

सरकार ने इसके लिए महिला व बाल विकास, बाल कल्याण विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रसद, जलदाय, पंचायती राज, राजीविका, समाज कल्याण तथा नेहरू कला केंद्र को साथ लेकर कुपोषण मुक्ति का अभियान चलाया है। सरकार का 2022 तक कुपोषण दूर करने का लक्ष्य है।

किसान बैंक खातों को आधार से जोड़ें

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए का सालाना लाभ लेने के लिए किसानों को जल्द ही अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना जरूरी है। यह राशि लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। किसानों की परेशानी को देखते हुए बैंक खाते को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 नवम्बर 2019 तक बढ़ा दी गई है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इससे बड़ी संख्या में उन किसानों को राशि तत्काल जारी की जा सकेगी जो आधार से जोड़ने की अनिवार्यता के कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे।

ग्राम पंचायतों में लगेंगी नेपकीन मशीनें

राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों में सैनेटरी नेपकीन इंसीनेटर मशीनें लगाने जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने पंचायतों को मशीनों के मापदण्ड तय करने में चिकित्सा विभाग की मदद लेने को कहा है। जिला परिषदों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके बाद उपयुक्त मानदण्डों के अनुसार अधिशासी अभियंताओं के माध्यम से इन मशीनों का प्रस्ताव और प्रारूप तैयार होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बजट घोषणा के तहत इसकी क्रियान्विति की जाएगी।

योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूक किया जाएगा।

मनरेगा की होगी सोशल ऑडिट

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की मनरेगा सहित बड़ी योजनाओं में धांधली रोकने के लिए सरकार सोशल ऑडिट कराने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

इसके तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 19 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। इसमें सिविल सोसायटी और विभागीय अफसर को भी शामिल किया जा रहा है।

पिछले दिनों ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं में वित्तीय अनियमितता और फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार सामने आई हैं। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

बिजली बचाने के तरीके

हम प्राय: बिजली बिल के ज्यादा आने से परेशान रहते हैं और अमूमन हमारा ध्यान बार-बार विद्युत वितरण कंपनियों की बढ़ती हुई दरों की तरफ जाता है। हालांकि कई उपलब्ध उपायों द्वारा हम बिजली की खपत को स्वयं घटा कर बिजली का बिल कम कर सकते हैं। जैसे कि पुराने बल्बों की अपेक्षा 'एलईडी' बल्ब्स 25 से 80 प्रतिशत कम बिजली की खपत करते हैं। भारत सरकार ने एलईडी बल्ब आम जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए 'ऊजाला' नाम की योजना चलाई है।

ऐसे ही बाजार में विद्युत उपकरण स्टार रेटिंग के साथ उपलब्ध हैं। एक से ज्यादा स्टार रेटिंग वाला उपकरण हालांकि खरीदने में महंगा होगा, लेकिन बिजली की बचत करने के कारण भविष्य में ज्यादा आर्थिक बचत करता है। इसके अलावा प्राकृतिक और सौर ऊर्जा का उपयोग अपनी आवश्कताओं के लिए किया जाए तो यह बिजली बचाने में कारगर साबित हो सकता है। बिजली उत्पादन की विभिन्न व्यवस्थाओं का पर्यावरण और निहित साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हर नागरिक का दायित्व है कि वह बिजली की बचत द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान दें।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485